

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर बांय

अनुवान मैना बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - १९१/२०२५

निर्णय दिनांक२६/६/२०२५.....

मैना पत्नी यासीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी बांय तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-::निर्णय::-


प्रार्थनी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर बांय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 482 खसरा सं. 1637/852 तादादी 8.2698 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम बांय में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थनी मैना पत्नी यासीन की जाति कुम्हार (प्रजापति) दर्ज है जो कि गलत है सही जाति मुसलमान कुम्हार है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि जाति शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थनी की जाति मुसलमान कुम्हार होने की अभिशंका की गई है।

प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थनी मैना पत्नी यासीन जाति मुसलमान कुम्हार किये जाने की अभिशंका की है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम बांय तहसील तारानगर के खाता संख्या 482 खसरा सं. 1637/852 तादादी 8.2698 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थनी की जाति कुम्हार (प्रजापति) Delete कर इसके स्थान पर मुसलमान कुम्हार अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २६/६/२०२५..... को कैम्प कोर्ट बांय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)